राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–.....20/2014 व 21/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स ई.ओ.एन. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, वी.के.आई.ए., जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/01/2014	**खण्डपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 305 व 306/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2013–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 27.12.2013 के विरूद्ध वैट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 व 2011–12 के लिये सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 13.7.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में स्थगन प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति राशि की वसूली को स्थगित है एवं कर व ब्याज की राशि पर स्थगन स्वीकार नहीं किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरण में कर व ब्याज की वसूली योग्य राशि की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2012–13 व 2013–14 के दौरान **'मोबाईल फोन बैटरी व चार्जर'** का विक्रय 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधियों के वेट अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.11.2013 को पारित करते हुए उक्त माल पर वेट अधिनियम की अनुसूची–V के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर देयता मानते हुए 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज एवं धारा 61 के तहत अन्तर कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–.....20/2014 व 21/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स ई.ओ.एन. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, वी.के.आई.ए., जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23/01/2014

अपील संख्या	अवधि	आरोपित				चाही गई रोक
		अन्तर कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7
20/14	2012–13	11,04,689	1,65,703	22,09,378	34,79,770	11,59,923
21/14	2013–14	2,93,239	14,662	5,86,478	8,94,379	2,78,577

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से सृजित मांग को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलों मय स्थगन प्रार्थना–पत्र में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2013 से वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक वसूली को स्थगित करते हुए अन्तर कर व ब्याज राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने से इन्कार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रकरण में बकाया वसूली राशि के स्थगन हेतु प्रस्तुत की गयी हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री वैभव कासलीवाल की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित माल बैटरी एवं चार्जर मोबाईल फोन का पार्ट होने से इस माल पर वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि 65 के भाग–'ए' की प्रविष्ठि संख्या 12 व 28 के तहत 5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किया गया है। बैटरी व चार्जर अन्यथा कहीं भी उपयोग में नहीं किये जाते हैं, न ही इनके बिना मोबाईल कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित माल पर 14 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए तद्नुसार अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित केवल शास्ति की सीमा तक स्थगन आदेश जारी करते हुए अन्तर कर व ब्याज की राशि स्थगित नहीं किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने शेष वसूल योग्य मांग राशि (उक्त तालिका के कॉलम संख्या–7 अनुसार) की वसूली स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया।

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–.....20/2014 व 21/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स ई.ओ.एन. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, वी.के.आई.ए., जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/01/2014	विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल का वेट अधिनियम की अनुसूची–I, II, III, IV, VI में स्पष्ट इन्द्राज नहीं होने से इन पर अनुसूची–V के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विवादित माल मोबाईल फोन के साथ विक्रय नहीं किया जाकर स्वतंत्र रूप से विक्रय किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित माल पर वेट अधिनियम की अनुसूची–V के तहत करदेयता मानते हुए तदनुसार अन्तर कर व ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की वसूली को स्थगित करते हुए कर व ब्याज की सीमा तक स्थगन आदेश पारित किये जाने से इन्कार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरणों में शेष वसूली योग्य राशि (कर व ब्याज) की सीमा तक प्रकरण के तथ्यानुसार प्रथम दृष्टया विधिसम्मत व सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये अपील स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर उभय पक्ष की बहस सुनने एवं प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध सृजित मांग राशि में से वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक वसूली पर रोक आदेश पारित किये जाकर अपीलार्थी व्यवहारी को अधिकतम राहत प्रदान कर दी गयी है तथा शेष वसूल योग्य राशि (अन्तर कर व ब्याज) बाबत मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अस्वीकार की जाती हैं। उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 23.1.2014 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड सदस्य राजस्थान कर बोर्ड	